राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 7(4)कार्मिक/क–2/73 जयपुर, दिनांक : 9.12.2019

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय–पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में।

राज्य के अधीन आने वाली समस्त सेवाओं यथा राज्य, अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कनिष्ठ तथा वरिष्ठ पदों में पदोन्नति से नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.10.90 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उन पदों तथा पदों के उन प्रवर्गों पर लागू नहीं होगा जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक है।

भारत के संविधान का 85वां संशोधन लागू होने के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। राज्य में भी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 द्वारा सभी सेवा नियमों में संशोधन करते हुए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में पदोन्नति पद होने पर उनमें आरक्षण दिया जाना आवश्यक है।

तदनुसार कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 29.10.90 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी संवर्ग में किसी भी संख्या में पदोन्नति पद होने पर उनमें आरक्षण, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के प्रावधानानुसार दिया जावेगा।

49/2019

उपरोक्त निर्णय इन आदेशों की जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा। परिपत्र दिनांक 29.10.90 के अन्तर्गत जिन विभागों द्वारा पदोन्नतियां प्रदान की जा चुकी है, ऐसे प्रकरण पुनः नहीं खोले जायेंगे।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

उप शासन सचिव

49/2019